दा0प्र0क0–2097/2022... शासन विरूद्ध खेमचंद बंजारे

Witness No. **03** For **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken

the **27.06.2023** Day of **मंगलवार** Witness's appearent age **43** वर्ष

State on affirmation **शपथपूर्वक** My name is **सी.पी. सिंह**

son of **श्री सनमान सिंह** Occupation **सहायक जिला आबकारी अधिकारी**

address **आबकारी वृत्त खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)**

01– मैं दिनांक 02.11.2022 को आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना–डोंगरगढ़ के आरक्षक अर्जून कुमार अजगल्ले क्र–851 के द्वारा अपराध क्रमांक 755/2022, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जप्तशुदा सीलबंद एक पन्नी पैकेट में 08 कांच की शीशियों में भरा तरल द्रव्य कुल मात्रा 1.44 बल्क लीटर को परीक्षण हेतु पेश किया। परीक्षण करने पर परिणाम निम्नानुसार पाया गया था।

अ– द्रव्य की रंग देखने पर रंगहीन होना पाया था।
ब– सुंघने पर देशी मदिरा प्लेन की विशेष गंध पाया था।
स– चखने पर देशी मदिरा प्लेन का तीखा झारदार स्वाद होना पाया था।
द– नीला लिटमस पेपर में तरल द्रव्य डालने पर पेपर का रंग अपरिवर्तित होना पाया था।
इ– द्रव्य की तीव्रता 50.3 यू.पी. होना पाया।

उपरोक्त परीक्षण में सभी गुण एक साथ पाये जाने पर मैं अपने प्राप्त विभागीय प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर जांच किये गये तरल द्रव्य को देशी मदिरा प्लेन होना पाया था। मेरे द्वारा प्रस्तुत मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 08 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर नमूना सील अंकित है। बाद जांच मय रिपोर्ट मदिरा को उन्हीं पात्रों में यथापूर्ण भरकर मय रिपोर्ट उसी आरक्षक को वापस कर दिया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अशोक टेम्भुरकर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–</u>

02– यह कहना सही है कि मुलाहिजा हेतु लायी गई तरल पदार्थ के साथ तहरीर की दो प्रति प्रस्तुत की गई थी। यह कहना सही है कि तहरीर की एक प्रति मुझे देकर द्वितीय प्रति में पावती ली गई थी। यह कहना सही है कि प्रकरण में संलग्न तहरीर मेरी पावती वाली तहरीर नहीं है। यह कहना सही है कि मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन के साथ मैने अपना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। यह कहना सही है कि प्रयोग में लाया गया नीला लिटमस पेपर

भी प्रकरण के साथ संलग्न नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रकरण में जप्तशुदा द्रव को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाने की सलाह नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस के कहने पर मदिरा परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि मैंने लायी गई शराब को पृथक से नाप नहीं किया था। यह कहना सही है कि जांच हेतु लाये गये सभी शराब शासकीय मदिरा दुकान में पाये जाने वाले शराब थे।

गवाह का हस्ताक्षर .....

गवाह को पढ़कर सुनाया गया। सही होना स्वीकार किया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
सही/– (यशोदा नाग) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़ (छ0ग0)	**सही/–** (यशोदा नाग) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़ (छ0ग0)